

[illegible]

/ बंककआर्काओ आर आलवना कौ यऱ सुलुतल कलत कलत हल कल नल कल हलसलरकलरल नल उलत अलवलनल कौ यलरल 13 कौ उलवलरल (4) कौ सलथ ललतल उलत नलमल कौ नलतलन 8 कौ अलतलत ललत प्रदलत सलथललल कल प्रलतल कलतल हलू नलतल उलतललत लतलरल कल "लतल हल जलल हल जलर लल कुलुध नल हल कौ आलरल रल" नलतल वलरलत ऑनलरलतल अलल रलतल कल कलरल लल ललतल हल:			
क्र.सं.	अलरकलरल कल नलम आर गलरलरल/ललरलरल	13(4) नलतलस कौ लतलतल आर ललतल (रु. लु.)	कलकल ललतल/ कलकल कल प्रलरल
1	उलरकलरल: श्री/श्रीमती सुलरलदु कुललर श्री/श्रीमती लीलल कौ रलतल (ललरलरल) - SBPLSEHO000006122645 ऑलरलल-डुरल-2026 - 029	एलसीबीएल सुलवल कल सलंलत नल 19-05-2026 लतल रु.7,10,840.05 (रुलतल सलत ललख दल हलरल आल सी ललसील सलतल 195 पलंल पलसु ललतल, गलतलन/ललतल तल आरल कल ललल आर लुलल कल सलल, सलथ नल सली आलकलसल लललरल, लुलल आर ललतल। नलतलस कौ लतलरल: 03-06-2026	18-09-2026 कल सलंकीरक कलरल
सलथल कल ललललक: गलल ललललल गलदीद, अलरल पलंललत ललललल गलदीद, ललहलील ललहती, लललल लीहलर (ललरु) नल आलरलीय डुरल/रल कौ सलतल, ललकलन सल. 18, पी.एल.सल. 45 (दलसलतलज कल अनुसलर कुल डलकलरल 3472 (ललरु पलू) हल, ललसल आरल "उलत सलथलत" कलल अलरल।			
ललतल रलल सल उलरललललल/गलरलरल/बंककलरलललल तलल अल लललल कल एललदलरल सलकलन ललतल कलत हल कल कलरल उलतललतल अलल सलतल रलरल आरल कल कल कललल हल तलल सलरली ऑललनलल, 2002 लल यलरल 13(13) कल ऑलरलल, ललरलकलरलल/ गलरलरल/ कलरलकलरलल यल कलदी नल लुलतल, हलल नलतलस कल हलतलरल कल रलरलरल ऑलरल कल लुलतु ललललल सलथलतल कल कलनल अलल सलतल कल कलदी, पलु यल अललनल लललरुल/अललनल कल ललतलल सल प्रलललललतल नलली कलरल लललल अलल रलतल कल सलथ कलदी नल ललन-ललनल डुरलललल रलतल कल ललए आरललल कल डुरललर कल ऑललन हललल, सलथ हल उलत ललतल रल लललदलतलक दल रल गलथल सल लललल तलल आलकलसल ललल, लललरु, लुललक आलल लल लल हल हलल। उलरललललल/गलरलरल/बंककलरललल कल धलनल कलरल उलतललतल अलल रलतल कल डुरलनल कल ललए उलललल सलथ कल सलंलत नल उलत अललनलल कल यलरल 13 कल उल-ललतल (4) कल अलललनल कल आर आकुलत कललल कलत हल।			
सलनल: ललल डुरलल दलनलक: 18.09.2026		हललल /- लललकुलत अललकलरी एलसल रलकलरुललनल कलरल (हलंडलल) लललतलडल (ऑलरलल डुरलल-ऑलरलल डुरलल-2026-029 कल डुरलती)	
एलसल रलकलरुललन कलरली (हलंडलल) लललतलडल, सीऑलरलए U65999MH2002PLC134848, वलसलतल: www.arcil.co.in पलंजीकुल कलरलललल: द रुली, 10डी ललललल, 29 सेनलतलल डललट ललरु, दलदलर डुरलललललल, लुलल-400028 डुरललल / 91 65981300.			

[illegible]



UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालय- ग्रेप गार्डन, संख्या 27, पुणेवा 'ए' ब्लॉक, 18वीं फ्लैट, कोल्हापुर, बंगलूर - 560065 क्षेत्रीय कार्यालय- जीएमटीडी भवन, प्लॉट संख्या डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (उ.प्र.) - 201301

• शाखा इंदौर- भूतल और प्रथम तल, जावरा फ्लाईअवे, प्लॉट नंबर 17छपकाना, सी, बामर कॉलोनी, इंदौर (एमपी)-462001 शाखा: पीएमपुर- भूतल, जीवन कॉम्प्लेक्स, महा नीमच रोड, विष्णुपुर, धारा (एमपी)-454775

संपर्क व्यक्ति- (1) पार्थ कनासगार, मो. 7020325240, (2) संजय शर्मा, मो. 9683358568, (3) अविमन्यु सिंह राठी, मो. 9056733167

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिप्रीति शिव (सर्वतन) निगमावली 2002 के परंतुक विभाग 8(6) और 9 के साथ पठित वितीय संस्थानों के प्रतिप्रीतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिप्रीति शिव प्रवर्तन अधिनियम (सर्वसेवी अधिनियम) 2002 के तहत किसी के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अग्रहोदधारता ने

सर्वसेवी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत पठित शर्तों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी "जहां है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	बकाया खाता सं.	कर्णधार/सह-कर्णधार का नाम	13-2 नोटिस की तिथि और राशि	संस्थित/बीलिक कच्चे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण के लिए एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	बकाया बरोहर राशि (ईएमडी) रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली बना कर अंतिम तिथि	ईएमडी केबने हेतु खाता विवरण
1.	2285210130000039	(1) लक्ष्मी नारायण मालवीय @ लक्ष्मी नारायण @ लक्ष्मी नारायण चौहान, पुत्र सिद्धानाथ मालवीय @ सिद्धा नाथ मालवीय (गोपिक वारिसों के माध्यम से) (2) पवन बाई @	10.06.2025 रु. 21,86,176/-	19.08.2026 (नौतिक कब्जा)	रु. 27,16,677.39 (विवरण 13.09.2026 रु.)	01.10.2026 अप्र. 02.00 बजे पूर्ण नियुक्ति द्वारा	रु. 28,56,000/-	रु. 2,85,600/-	29.10.2026 को पूर्ण 11.00 बजे से दो. 12.00 बजे तक	28.10.2026 को अप्र. 04.00 बजे तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में इंदौर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीपीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएमपीएस: UJJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए।
पवनबाई, पत्नी लक्ष्मी नारायण मालवीय @ लक्ष्मी नारायण चौहान @ आशीष चौहान, पुत्र लक्ष्मी नारायण मालवीय @ लक्ष्मी नारायण चौहान संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं और जोकि सर्वेक्षण सं. 381/1146, 381/1147, 381/1148, 381/1149, 381/1150/1, 2, 381/1151, 381/1152, 381/1153, 381/1154/2, सुपर बिल्ड-अप क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट, वार्ड सं. 27 (दिशा-निर्देश के अनुसार वार्ड सं. 34) (क्रम सं. 686), पी.एच. सं. 18, जय शिव कॉलोनी, तहसील एवं जिला देवास, मध्य प्रदेश जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: सीमाएं- पूर्व: दयाराम पीराजी की भूमि, पश्चिम: राजू खिचड़ी के प्लॉट, उत्तर: नारायण सिंह का प्लॉट, दक्षिण: सड़क											
2.	2287210180000001	(1) जीवन सिंह मकवाना @ जीवन सिंह, पुत्र गुरसिंह मकवाना @ गुरसिंह (2) इंदिरा बाई @ इंदरा बाई @ इंदराबाई, पत्नी जीवन सिंह मकवाना @ जीवन @ जीवन सिंह	28.01.2026 रु. 3,06,599/-	29.07.2026 (नौतिक कब्जा)	रु. 3,89,175.22 (विवरण 13.09.2026 रु.)	01.10.2026 अप्र. 02.00 बजे पूर्ण नियुक्ति द्वारा	रु. 21,75,000/-	रु. 2,17,500/-	29.10.2026 को पूर्ण 11.00 बजे से दो. 12.00 बजे तक	28.10.2026 को अप्र. 04.00 बजे तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में पीएमपुर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीपीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएमपीएस: UJJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए।
संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं और जोकि सर्वेक्षण सं. 281/3 में से, क्षेत्रफल 1050 वर्ग फुट, पी.एच. सं. 38, करवा बेटना, तहसील देवापुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: सीमाएं- पूर्व: सर्वेक्षण सं. 281/3 के शेष भाग की भूमि, पश्चिम: सनावदा रोड पर उत्तर: शांतिग्राम का प्लॉट, दक्षिण: सर्वेक्षण सं. 281/3 के शेष भाग की भूमि											

नियम एवं शर्तें—ई-नीलामी "जहां है जैसा है" और "जो कुछ भी है" आधार पर आयोजित की जायेगी।

- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोच्च ज्ञान और सूचना के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई अग्रहण नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, अग्रहण, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देवताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र प्रसूतता करना चाहिए। ई-नीलामी विभाग के बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही यह जमाना प्रमाण। संपत्ति की बैंक की जात या अज्ञात सभी मौजूद और सभी अग्रहणों के साथ संचय रहा। प्राधिकृत अधिकारी/सर्वेक्षण ऑफिसर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों अधिकार देवताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं की संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।
- इच्छुक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाताओं की तारीख से पहले अग्रहोदधारिता प्रतिकूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
- ई-नीलामी बोलीदाताओं की अपनी बोली अपर उल्लिखित नीलामी की तारीख से पहले अग्रहोदधारिता प्रतिकूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। संपर्क व्यक्ति श्री राजीव पाण्डेय (मो. नं. 8142000030) (इच्छुक बोलीदाताओं की संपत्ति के विवरण के लिए <https://bankeauctions.in> or <https://nars-8142000062/63-68> संपर्क ईमेल आईडी: info@bankeauctions.in नीलामी पोर्टल- <https://bankeauctions.in> पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना मूकुर आईडी और पारसवर्ड निशुल्क प्राप्त करना होगा।) नाबो बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स 4 करोड़, हेलादादा नगर-8142000062/63-68 पर जाने की सलाह दी जाती है। और बोली में नाम लेने के लिए उन्हें पोर्टल <https://bankeauctions.in> पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना मूकुर आईडी और पारसवर्ड निशुल्क प्राप्त करना होगा।) नाबो बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स 4 करोड़, हेलादादा नगर-8142000062/63-68 पर जाने की सलाह दी जाती है।
- संपत्ति उधवार बोलीदाता/प्रदाताओं को बेची जाना, जो प्रतिभूत लेनदार, पानी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। हालांकि, अग्रहोदधारिता के पास पूर्ण विवेक है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो इंटर से बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है।
- प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण दिए बिना किसी भी अग्रहण की स्वीकृति या अस्वीकृति का विवेकपूर्णता है।
- सफल बोलीदाता की जमा बरोहर राशि (ईएमडी) को आशिक किसी प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा बरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के भीतर, पहले से मुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करने हुए किसी मूल्य का 25% जमा करना होगा और किसी के 15 वे दिन या उससे पहले किसी मूल्य का शेष 75% या किसी भी मामले में लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अधिकतम 3 महीने की विस्तारित अवधि के भीतर सहमति के अनुसार जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा मुगतान में वृद्ध के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि की प्रजा कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट खरीदार का संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा अधिकार नहीं होगा।
- यह प्रकाशन प्रगती मुख्य खंड के अधीन है।
- बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम बidding में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे, ऐसी आवश्यक परिस्थितियों की घटनाओं से चघने के लिए बोलीदाताओं से अनुमति है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैंक-आदि की व्यवस्था करें

News and Magazines join telegram [@NewsTG8](https://t.me/NewsTG8)